

कार्यालय तहसीलदार, तहसील जिला

क्रमांक. No. 6 / १३.१२।/१९।/१९८१ । १२-१३

..... १२ दिनांक. दि. १०.८.८१

-: जाति प्रमाण-पत्र :-

धो रामेश्वर मुख्य व विवाहक

एवं राजपत्रित अधिकारी नाम संग्रह

के आधार पर सत्यापित किया जाता है कि धो रामेश्वर मुख्य


पुत्र / पुत्री / प्रत्नी युवद जनजाति वर्गी

निवास क्षेत्र नं जी उठ कोटुरा गोपाल तहसील हुगुर

जिला गोपाल के मूल निवासी है तथा इनकी जाति वैदिक व धर्म हिन्दू है ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम १९७६ के
अनुसार भारत प्रधानमंत्री द्वारा जिले में अनुसूचित जनजाति की
सूची में सम्मिलित हैं ।

मध्यप्रदेश शासन सामाजिक विभाग क्रमांक १४ सी / आर / ३५५ / ११ (३) दिनांक ८ जनवरी
१९८२ द्वारा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति राज्य शासन की नीकरियों
तक ही मान्य होगी ।


तहसीलदार

तहसील बिजूपुर

राज्य कार्यपालन विभागीय

बाह्यिक विभाग, विधायक

Sh. Satis h kujur

(8)

कार्यालय तहसीलदार, तहसील हुतर जिला नांगाल

क्रमांक

२३/१३-१२/१९६२-४३८

दिनांक १०) ११/११/६५

—: जाति प्रमाण-पत्र :—

थो लालु लाल गांव व विधायक मोपाल

विधायक अधिकारी द्वारा दिनांक १०) ११/११/६५ के अधार पर स्थापित किया जाता है कि थो सताशा लुनु २

पुत्र / पुत्री / पत्नी

निवासी दृष्टि नं ३२१, गांव सेवटू, पिपलागा, गल, मोपाल तहसील बुझाई हुतर

जिला मोपाल के मूल निवासी है तथा इनकी जाति उत्तराखण्ड व धर्म हिन्दू है।

अनुसार अनुसूचित जनजाति आवेदन (संशोधन) अधिनियम १९७६ के अनुसार उत्तराखण्ड मोपाल जिले में अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य विभाग क्रमांक १४ सी / आर / ३५५ / ११(३) दिनांक ८ जनवरी १९६६ द्वारा राजीकित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र द्वावृत्ति राज्य शासन की नौकरियों तक सम्मिलित होगी।



तहसील हुतर विधायक लोक सभा बैठक
तहसील हुतर मोपाल

जाति निकेतन भाष्यक फॉर्म : ५४३७६०

Selby J. S.

प्रियकर्ता जागि प्रमाण-पत्र

१८५२

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ...
आरम्भ थोड़ा ... अमरा लंग-बुद्धि-विद्या-सामाजिक
सहायता/दाकखाता ...
उत्तर प्रदेश राज्य के ...
पिछड़ी जाति के अन्त है।

यह जाति शासनदेश सभा १३१४/२५-७६/१७५८ विवाह १० सितंबर, १८५८ के
अनुंतर मान्यता प्राप्त है।

श्री ...
के नाम ...
साधारण तथा निकास करता है।

२४/७/७३

Sold by
S. P. Roy

50/- 50/- 50/- 50/-



Sh. Devendra Weiwa

परिशिष्ट तीन
[नियम क्र. 8 (1) देखें]

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग इशोप्हर जिला इशोप्हर मध्यप्रदेश

पु. क्र. 41

प्रमाण-पत्र क्र.

प्रकरण क्रमांक 156 | ०१.०८.११ | श. P-11
4033

जाति प्रमाण-पत्र

तह प्रक्र. १२५६७/०६/०८/११ के आधार पर

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी देवेंद्र कुमार पिता/पति

का नाम देवेंद्र कुमार निवासी ग्राम/नगर इशोप्हर वि. खं. इशोप्हर

तहसील इशोप्हर जिला इशोप्हर संभाग इशोप्हर जाति/जनजाति का/

की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह छुरपा

जाति/ जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में

अनुक्रमांक १५ द्योष्टु है पर अंकित है। अतः श्री/ श्रीमती/ कुमारी देवेंद्र कुमार

पिता/पति का नाम देवेंद्र कुमार अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/ श्रीमती/ कुमारी देवेंद्र के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ५ है।



हस्ताक्षर
देवेंद्र कुमार (जाति कारी)
पदाधिकारी (०१०८)

Devendra

जेन्टल

Accounts Officer
Environmental Planning & Coordination Organisation
Madhya Pradesh, Bhopal

१२

Sh. Manoj Nikose

31

काय रिय कलेक्टर (गोदावरी ज़िले प्रशासन) भौपाल
कुमारी/जाति/भौति/प्रशासन नं. 66/1823 दिनांक 7.6.84

धी - २८२८१८२४२५५ विधायक कामांडला

सर्व - २८२८१८२४२५५ विधायक कामांडला

• २८२८१८२४२५५ विधायक कामांडला

धी - ०००८३८१८२४२५५ विधायक कामांडला

वे शपथ पत्र दी इस्तुत किया है कि :-

धी - ०००८३८१८२४२५५ विधायक कामांडला

धी - ०००८३८१८२४२५५ विधायक कामांडला

वे मूल निवारी हैं व इनकी जाति १८८४१८२५५ है व धर्म हिन्दू है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आवेदन (शोधन)

अधिनियम 1976 के अनुसार १८८४१८२५५ जाति भौपाल ज़िले में अनुसूचित

जाति / अनुसूचित जनजाति की सूची में वर्गित है।

स ००० शासन आयाच्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/७४/सी०आर०

३३५/१/(३)६२ दिनांक ८ जनवरी १९६२ द्वारा राजपत्रित अधिकारी द्वारा

प्रदल प्रसाप पत्र देख गया है। बता इस आधार पर यह प्रयाप पत्र दिया

जाता है। यह प्रयाप पत्र छान्वाली/राय शासन दी नौकरियों तक ही मान्य

होगा।



जिला संचालक
District Organiser
Tribal Welfare, Bhillam Pashan (M. P.)

Smt. Suman Guyal

(139)

राजमणि पटेल

एम. एल. ए.

उपाध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड



दूरभाष : का. ६४६६२, ६४६६३
नि. ६४६०३ રીવા ૬૧૫
નિવાસ : વી. ૪-ચાર ઇમલી, ભોપાલ

प્રમાર્દા પત્ર
— X —

પ્રમાર્દા કિંદા જોતા હૈ કુમારી
સુમન માઝે કોમુજ અની જગત્તાચ માઝે
ગૃહ - કુનેરા, તરસીનું - હરશૂદ, જીલ્લા -
શ૱દુંગા, મદ્ધય પ્રદેશ કી ભૂલ નિબાસી હૈ, જો
ગુજર જાતી કી હૈ, ગુજર જાતી મદ્ધય પ્રદેશ
મે પિછડી જાતી કી સૂચી મે લોલી હૈ। તુંકા
ચૌરંગ તત્ત્વ હૈ। તુંકે તુમજાં માખેપાપ કો
શુભ કોમનું કરતો હૈ।

રામનાનદ - ૧૧૬૮૫
વિદ્યાયક

અધ્યક્ષ
મ.પ્ર. સેતુ નિર્માણ નિધિસ લિ.
ભોપાલ.

Sh. Kautile ८०१

(163)

तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म० प्र०

163
160

भोपाल, दिनांक

22/12/92

जाति प्रमाण-पत्र

प्रद्यान विधायक दाक्षिण छोपाल
 एवं राज्यपत्रित अधिकारी डी.पी.लॉलाइन, छोपाल
 गत्यापित किया जाता है कि श्री कोटिकु राज्य राज्य
 पति श्री देवराव राजा
 ज्ञ. ३७३ डा. उमेहेन्द्र नारायण तहसील हुजूर
 भोपाल के मूल निवासी है तथा इनकी जाति महार व धर्म हिन्दू है।

अनुचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम १९७६ के, अनुसार
 अनुचित जाति महार भोपाल जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति की
 समिलित है।

ग्राम प्रदेश शासन सामान्य विभाग क्रमांक १४/सी/आर/३५५/११(३) दिनांक ८ जनवरी
 १९९२ द्वारा राज्यपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र छान्वृति/राज्य शासन की नीकरियों तक^{प्राप्त} होगा।

मृगी कृ

तहसील हुजूर जिला भोपाल
 तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रस्थान प्रमाण-पत्र (लीविंग सार्टीफिकेट)

स्कूल नं. ७० पुरामोला वाला नं. ० दोडा मैनपुर संपादन (बिला) मैनपुर
 नाम विद्यार्थी का जन्म तिथि अक्टूबर १५ अर्थात् रामनवमी विवरणः—
 जन्म दिनांक अक्टूबर १५-१९६५ (ग्र.) नाम कटने का कारण अनुचित अनुचित
 जन्म विद्यार्थी का शब्दों में दस महीने पैस्तु (ब) आचरण उत्तम
 स्कूल छोड़ने के दिन की आयु (स) नाम उच्च परीक्षा जो पास की गई १५
 वर्ष १५ मास ११ उत्तोरण दिनांक १५-१२-६६
 पिता का नाम श्री रामराव अथवा कक्षा जिससे प्रथक हुआ १५-१२-६६
 जाति अथवा धर्म हिन्दू (द) विद्यार्थी की भाषा हिन्दी
 पिता का व्यवसाय नगरी अथवा आवश्यक सूचना
 निवास स्थान लगाला लालता (१) क्या वह निशुल्क या निशुल्क
 तहसील दुर्ग जिला मैनपुर (२) यदि हाँ तो कब से कब तक^{१५-१२-६६}
 उत्तर प्रदेश में रहने की अवधि १५-१२-६६ (३) कोई छात्रवृत्ति मिली या नहीं
 प्रथम स्कूल प्रवेश का दिनांक १५-१२-६६
 प्रवेश रजिस्टर की क्रम संख्या १५४८
 स्कूल उन्नियत का प्रतिम दिनांक १५-१२-६६
 स्कूल प्रवेश की प्रथम क्रम संख्या, यदि हो १५४८
 प्रथक करने का दिनांक १५-१२-६६
 दिनांक २६ मास ११ सन् १९६८



हस्ताक्षर संभालने वाला प्रधान प्रबोधक

- नोटः—(१) ऊपर लिखित सब उल्लेख युद्ध और सुलिखित हों और उस पर प्रधान प्रबोधक के स्पष्ट हस्ताक्षर हों।
 (२) प्रमाण पत्र का लेख प्रवेश पुस्तका (रजिस्टर) के अनुसार होना चाहिए।
 (३) आचरण जहाँ तक हो सकेंगे में लिखना चाहिये।
 (४) स्कूल छोड़ते समय की आयु को गणना नाम कटने के दिनांक तक की जाय,
 प्रमाण पत्र देने के दिनांक तक नहीं।

Smt. Radha Devi

16

(१)

ब्रह्मि सुदर्शन बसोर (अ. जा.) सेवा संघ

पिपलानी, वी.एच.ई.एल., भोपाल

पंजी क्र. 3029/1972

प्रांतीय कार्यालय :

शेड-५८४ धी. सेक्टर,

पिपलानी, (६० क्वार्टर) भेल, भोपाल-२१

फोन : (नि.) ०७५५-२६८५६५१-९८९३६९७२५८

दिनांक: ६-१-२००४-

क्रमांक: ७६

जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीगंगारि २०६८/५१३

पिता श्री देवा कृष्ण देवी दीप मकान नं. ३९ इल. १ लोटपोर

वार्ड नं. ५४ मोहल्ला / ग्राम लोटपोर वरखेड़ा पाटोनी

तहसील कुरुक्षेत्र जिला भोपाल (म.प्र.) के मूल निवासी है। इनकी
जाति लोटपोर (भोटो) एवं धर्म हिंदू है। अनुसूचित जाति में
आते हैं।

मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही इसके प्रमाण
पत्र इनके द्वारा चाहे जाने पर प्रदान किया गया है।

6-1-2004

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर
देवेन्द्र चन्द्रल सिंकरवार
आठवण

ब्रह्मि सुदर्शन यसोर (अ.जा.) सेवा संघ,
पिपलानी, भेल, भोपाल, रजि. क्र. ३०२९/१९७२

AAO(P)

Q. no. 5
02/07/10

DCA
Suman
2-7-10

Sh. Bijjal

(1)

उ. प्र. की अनु. जा. तथा अनु. जनरेचर के लिए

जाति प्रभाग पत्र

उ. प्र. नि. श्र. सुरजपाल (सं.)

जात किया जाता है कि धो/श्रीमती कुमारी
पुनर्पूर्णी/कुमारी अगलवा (सं.)

जिला -

उ. प्र. राज की

सदस्य हैं जिसे उ. प्र. लोक मेवा (अनु. जा. अनु. जनरेचर) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम १९०५ के द्वारा ३ (३) में उल्लिखित है-

१. अनुसूची-तीन के भाग के विविहित हनु. जा.

२. अनुसूची-तीन के भाग-ब में विविहित हनु. जा.

धो/श्रीमती/कुमारी अनु. जाति

(जो स्तम्भ लागू न हो उसे भरा ही न जाय तथा उसे अलैं प्रकार काट दिया जाय)

उ. प्र. के याम नहीं

जला में सामान्यतः उहता है।

६ थान -
दिनांक -

22/02/2022

को आलयानुसार

निवासों याम नहीं

नगर

जाति के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम १९०५ के द्वारा अन्य विछाने वाले धारा ३ (३) में उल्लिखित है-

जाति के सदस्य हैं।

शुहर

रहन्दार शुहर

Sh. Mansingh Mehta

VI

रजि. न. १०००८

मेरा समाज संघ
जिला भोपाल भव्यश्रद्धेन

३७१०/३३

स्थान

प्रधान कार्यालय
बाग सेवनिया

अध्यक्ष

टीकाराम मेरा
मेरा समाज संघ, भोपाल

जाती-जमान पर्स

दिनांक १५ अगस्त १९८८

अमांणित किया जाता है। कि श्री मान सिंह मेरा
५% गोन्दालल गैर निवाशी ग्राम बाग सेवनिया
पोस्ट बाबौड़िया बला गिला भोपाल की जाती
गैर है।

मध्य प्रदेश राज पर आज ५(ख) के दिनों
पुलाई १९७७ को अकाशित अनुसुचित जाती की
उक्के सूची के गैर, जाती अनुसुचि जाती की
सूची में समावित है।

अध्यक्ष
टीकाराम मेरा

अध्यक्ष

मेरा समाज संघ
जिला भोपाल (न. प्र.)

अंगूठे का निशान
Impression of
ber

मेरा जो मेरी सामग्री
रा पढ़ी गई और समाज

e me by Shri/Smt.
as read the entire

मेरा अधिकारी के हस्ताक्षर
other authorised

Sh. Jagdish Basad Patel

9

जाति प्रमाण-पत्र

में पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता है कि:-

१- श्री / श्रीमती / कुमारी ५१५१२१६८८८
 पुरुष / पुत्री / पत्नी ५२१२१६८८८
 स्थाई निवास ५१६२४८

२- श्री / श्रीमती / कुमारी ५२१९१९१६८८८
 जाति ५१३०८८ है और उनकी उपजाति
 उनका वर्म १८८५ है। जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़े वर्ग की
 सूची में सम्मिलित है।

हस्ताक्षर

परा नाम अभिकारी

ज्ञानीय-हृषि बोधाल

नोट- यह प्रमाण-पत्र बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा छाक्खवृत्ति मुख्यतः सप्रमाण-पत्र के आधार
 पर दी जाती है, अतः प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि वह
 यथोचित सावधानी बरतते हुए यह प्रमाण-पत्र जारी करें। कृपया नाम एवं पद की
 मुहर अवश्य लगाएं।

जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने के लिए निम्नांकित प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा शासकीय अधिकारी सक्षम हैं

- १- संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य
- २- जिला कलेक्टर
- ३- परियोजना अधिकारी, एकोकृत आदिवासी विकास परियोजनायें
- ४- उप सचालक आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास-पिछड़ा वर्ग कल्याण
- ५- जिला संयोजक, जिना अधिकारी आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास-पिछड़ा वर्ग कल्याण
- ६- विकास खंड अधिकारी क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास-पिछड़ा वर्ग कल्याण
- ७- दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट)
- ८- मुनिसिपल कौसलर
- ९- तहसीलदार / नायब तहसीलदार
- १०- जनपद अध्यक्ष, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत के सरपंच
- ११- मण्डल संयोजक, आदिम जाति कल्याण, हरिजन विकास-पिछड़ा वर्ग कल्याण

Sh. Mahesh Chandra

काशीलिय जिलाधिकारी गांधी जाति कल्याण प्रगति ग्राम पंचायत निवासी ग्राम पंचायत
क्रमांक/ गांधी जाति प्रगति पत्र/ ८३-८४.

निवासी ग्राम पंचायत दिनांक २५.१२.८३

जातिप्रगति पत्र



दोस्रा किये गये प्रगतिपूर्ण काम के आदेश पर प्रगति किया जाता है कि श्री रु/ श्रीमती

पुत्र/ पुत्री नवी काल चौक

निवासी ग्राम काल चौक तहसील काल चौक
जिला विदिशा राज्य मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति जाति संशोधन आदेश मियम १९६८ के अन्तर्गत जिला विदिशा के लिये स्थीरकृत जाति काल चौक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति में जाती है।

प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर से मुद्रा द्वारा जारी किया गया है।

स्थान :- विदिशा

दिनांक :- २५/१२/८३-८४

को गारा /-

GN
क्षेत्र संघीजक
गांधी जाति कल्याण
विदिशा (म०प्र०)

जाति प्रमाण-पत्र

स.क. 1145 बी. 121
द. 200 - फ. 200 8-

मैं अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार पर प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि

मी / श्रीमति / कुमारी - मुन्नलाल (अपाळी) - पटेल

आत्मज श्री - रामराम (अपाळी) - पटेल - निवास स्थान ग्राम /

वाड - दीपीशहरोरिपुत्तहसील - दगडी - जिला - दमोह

नाम की अनुशृण्ठि जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग - पिछड़लगड़ी (अपाळी)

है और इनकी उपजाति - पटेल है।



✓
रहस्ताक्षर
दगडी
एवं सील
21/3/166

जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए निम्न लिखित प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा शासकीय अधिकारी सक्षम हैं -

- 1) संसद सदरय
- 2) विधान सभा सदरय
- 3) कलेक्टर
- 4) परियोजना अधिकारी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनायें
- 5) उपसंचालक आदिन जाति हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- 6) जिला संयोजक जिला अधिकारी
- 7) विकास खंड अधिकारी
- 8) क्षेत्रिय संयोजक
- 9) मंडल संयोजक
- 10) दण्डाधिकारी (माजस्ट्रेट)
- 11) तहसीलदार / नायव तहसीलदार
- 12) म्युनिसिपिल कांसलर
- 13) जनपद अध्यक्ष
- 14) ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत के सरपंच

Sh. Om Patel
//

कार्यालय तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल म. प्र.

क्रमांक ५५/३१/१९६
१२-९९

भोपाल दिनांक ३०/१/१९६

-: जाति प्रमाण - पत्र :-

सस० सी० वर्मा
धी बेस्कर पॉर्टियामेंट आफ भोपाल
व विधायक
एव राजपत्रित अधिकारी प्रोजेक्ट आपीसर इंस्ट्रीक अर्बन
डियार्मेन्ट सेन्सी भोपाल
के आधार पर सत्यापित किया जाता है कि धी आमपाल
पुत्र / पुत्री / पत्नी नेक्सेलाल

निवास कोलार कालोनी भोपाल तहसील हुजूर
जिला भोपाल के मूल निवासी है तथा इनकी जाति भृतर
व धर्म हिन्दू है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम १९७६ के
अनुसार भोपाल जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति को
सूची में सम्मिलित है।

मध्य प्रदेश शासन सामान्य विभाग क्रमांक 14 सी/आर/355/11 (3) दिनांक 8 जनवरी
1992 द्वारा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र छात्रवृत्ति राज्य शासन की नौकरियों
तक ही मान्य होगी।

3/2/1996

उमा गणेश

वायप तहसीलदार ३०/१/१९६
तहसील हुजूर जिला भोपाल
गरमील हुजूर भोपाल

Sh. Vijay Malviya

19

६

कायलिय तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल {मोप्र०}

क्रमांक 1/871

18890

भोपाल, दिनांक


// जाति प्रमाण-पत्र //

श्री विधायक
संघ उपर्युक्त

के आधार पर सत्यापित किया जाता है कि श्री प्रेम पुरुष कुमार मोर्चा
पुत्र/पुत्री/पत्नि/पति श्री शश्वत चौधरी
निवासी मुमुक्षु गांव
जिला भोपाल के मूल निवासी हैं। तथा इनकी जाति मोर्चा
व धर्म हिन्दू है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश { संशोधन }
अधिनियम 1976 के अनुसार ट्रॉफिट (धोबी) भोपाल जिले में
अनु० जाति, जनजाति की सूचि में सम्मिलित है।

मोप्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 14/सी./आर./355/
1183५ दिनांक 8 जनवरी 1962 द्वारा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र
अत्रपूर्ति/राज्य शासन की सूचिकरियों तक ही मान्य होगा।



मध्य प्रदेश सरकार
प्रशासन विभाग
चहसु, ३ हुजूर, (भोपाल)
Shashwat Choudhary
तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल
मोप्र०

एक्शन फोटो स्टेट
जी०पी०ओ०, भोपाल,

Sh. Hari Chauhan

कार्यालय तहसीलदार, तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.

मध्य प्रदेश

क्रमांक/...../१०

२८।।८७।।
भोपाल दिनांक/.....

जाति प्रमाणपत्र

श्री शेखन्द्र पधान

विधायक दक्षिण भोपाल

एवं डॉ. प्रभाकर तेलंग सहा राज्य विकासकु के आधार पर सत्यापित
किया जाता है कि श्री हरीचरण शुक्लवरे

पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति की स्त्री हरचंद्रिया शुक्लवरे

निवासी बाबगंगा नार्थ टी० टी० नगर म.न. २१४, भोपाल म०७५०

जिला भोपाल के मूल निवासी है। तथा इनकी जाति बसोर

व धर्म हिन्दू है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश प्रत्योधन अधिनियम १९७६
के अनुसार बसोर भोपाल जिले में, अनु.जाति, जनजाति
को सूचित में सम्मिलित है।

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक १४/सो./आर./३५५/
११४३४ दिनांक ८ जनवरी १९६२ द्वारा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-
पत्र छात्रवृत्ति/राज्य शासन को नोकरियों तक ही मान्य होगा।



तहसीलदार
तहसील हुजूर, जिला भोपाल
मध्य प्रदेश
राज्य प्रशासन विभाग
कार्यालय तहसील हुजूर (भोपाल)

Sh. Chhedila.

A-122
6

अन्य पिछड़े वर्गों की शासकीय सेवा के लिए प्रस्तुत
किये जाने वाले



जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री

प्राप्ति श्री द्वारा लाल कुशावह निवासी/प्राप्ति वर्ग
जिला/संभाग मध्यप्रदेश के निवासी हैं जो

जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूपमें, मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग
विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक-८-५/पञ्चवीस/४/८४ दिनांक २६ दिसम्बर, १९८४ की अनुसूची
क्रमांक ८५३ पर जाति/उपजाति/वर्ग समूह में अधिमान्य किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री

लीलाल कुशावह
गोपीनाथर (सम्पत्ति वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्यिक
प्रशिक्षण विभाग के परिषद क्रमांक ३६०/२-२२-८३/स्था. (एस. सी. टी.) दिनांक ८-८-८३ द्वारा जारी
गयी के कालम सूची में सूचित, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एक-७-८३/८३/१/आ.प्र.,
दिनांक ८३ दिसम्बर १९८४ के साथ संलग्न शिष्ट 'इ' की अनुसूची के कालम-३ में किया गया है।



प्राधिकृत अधिकारी का नाम हसीन दार
पद नाम द्वारा लाल कुशावह (मौलिक)

Smt. Parshuram
Merru

परिशिष्ट "धार"

(निर्देश क्रमांक ४ (२) दखें)

अस्थाई प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग	कुलम्	जिला	मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक		प्रकरण क्रमांक	८८८८१२१०५५३
प्रमाण-पत्र क्रमांक			22/10/2002

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री भन्नी को छात्र अवस्था में विवाहित है। निवासी/ग्राम
 आत्मज श्री वा आलम श्री हैं। निवासी/ग्राम
 कुरोड़ वैश्य क्षेत्र भिला भिला
 जिला संभाग मध्यप्रदेश के निवासी हैं, जो भिला। जाति/प्रजाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन अदिम जाति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/८-५/पञ्चीस/४/८४ दिनांक २६ दिसम्बर १९८४ द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री श्री भन्नी को छात्र अवस्था में विवाहित है। और या उसका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला भिला संभाग भिला में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री भन्नी को छात्र अवस्था में विवाहित है। निमोलयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वगों की भेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक ३६०/२/२२/९३ स्था. (एस.सी.टी) दिनांक ०८-०९-९३ द्वारा जारी सूची के कॉलम ३ में तथा म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन नं. एफ ७-२६-९३/१/आप्रवि ४ जानूर १९९३ के साथ सलांग परिशिष्ट "ई" की अनुसूचि के कॉलम (३) में किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/भ्राता/कुमारी श्री श्री भन्नी को छात्र अवस्था में विवाहित है। इस परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये:

दिनांक २२/१०/२००२

(लील)

टोट: यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से ६ माह के लिये वैध रहेगा।

मायब तहसीलदार
 एवं कृष्णपालन वण्डाधिकारी
 प्रमाणीतहसील अधिकारी कारगम
 पवनाम

वैल प्रमाण पत्र दिनांक
 १०/१०/२००२ (मध्यामात्रा)
 Q. Singh

३

जाति प्रमाण-पत्र

पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता हूं कि-

१. श्री/श्रीमती/कुमारी ज्ञानेन्द्र पवार
 पुत्र/पुत्री/पत्नी अुपद्यु पवार
 का स्थायी निवास ... व्हारिंग नं. ११४५५ शिवाजीगढ़ पोर्ट

श्री/श्रीमती/कुमारी ज्ञानेन्द्र पवार
 जाति जाई है और उसकी उपजाति जाई
 उसका धर्म हिन्दू है जो स. प्र. शासन द्वारा घोषित पिछड़े वर्ग की सूची में
 सम्मिलित की गई है।

उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड

प्रमाण पत्र देनेवाले के हस्त कार्यकारी लिपि रामेश्वर तेहलदार

पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) रामेश्वर तेहलदार

पद नाम

पता

मोहर

यह प्रमाण-पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा छात्रवृत्ति मुख्यतः इस प्रमाण-पत्र के आधार पर दी जाती है। अतः प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी को यह सलाह दो जाती है कि वह यथोचित सावधानी वरतते हुए यह प्रमाण-पत्र जारी करें। कृपया नाम अथवा पदनाम की मोहर अवश्य लगाएं।

सम्बन्धी प्रमाण-पत्र देने के लिए निम्नांकित प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा शासकोय कर्मचारी सक्षम हैं।

संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य

जिला कलेक्टर

परियोजना अधिकारी एकीकृत आदिवासीय विकास परियोजनाएं

उप संचालक आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास-पिछड़ा वर्ग कल्याण

जिला संयोजक अधिकारी आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण

विकास खण्ड अधिकारी क्षेत्र संयोजक-आदिम जाति कल्याण विकास-पिछड़ा वर्ग कल्याण

इण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट)

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुनिसप्ल कॉसिलर

नपद अध्यक्ष, ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत के सरपंच

ण्डल संयोजक आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण

Sh. Shyam Dev Verma

(6)

जाति प्रमाण पत्र

244

भू. ० नै० नि० की आख्या दिनांक १४-२-१९९० के आधार
पर प्रमाणित किया जाता है कि श्यामदेव वर्मा पु० श्री उवधा वर्मा
ग्राम दयाघपरा । दुधानचक । परगना बलिया तहसील बैरिया जनपद
बलिया राज्य उ० प्र० के । कोइरी । जाति के ट्यूकित है जो भासना
देश सं १३१४, २६-७८।, १९५८ दिनांक - १७ सितम्बर १९५८ के द्वारा
मान्यता प्राप्त पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं ।

दिनांक - फरवरी १२, १९९० ई० ।

तहसीलदार

बैरिया ।

१४-२-१९९०



Ch Chandrashekra Mulyadg

प्राप्ति स्थान: जगदीश ठाकुर, मनावर

प्रारूप 'एक'

कायलिय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणिकरण)

अनुविभाग

मना०।८८

जिला

स्था०।८८

(मध्यप्रदेश)

पुस्तक क्रमांक

प्रकरण क्रमांक 1099/१२१

प्रमाण-पत्र क्रमांक

2012-13

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी —— बन्हूंशे रबूं
पुत्र/पुत्री/श्री/पत्नि मिट्टसिंह निवासी ग्राम/नगर महालुरा

तहसील मना०।८८ जिला स्थार (मध्यप्रदेश) मिलाल

जाति/जनजाति का / की सदस्य है और इस जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के आधिन मध्यप्रदेश राज्य मे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। और यह मिलाल जाति / जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची मे अनुक्रमांक ०७ पर अंकित है।

अतः श्री/श्रीमति/कुमारी —— बन्हूंशे रबूं पिता/मति का
नाम मिट्टसिंह अनुसूचित जाति / जनजाति का / की सदस्य है।

स्थान मना०।८८

दिनांक ४-२-१३



प्रमाणिकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
मनावर/गढ़वाली महाल पुरी दीक्षा
पदनाम एवं मोहर

verified for original

Sh. Lakshmi Singh

प्रारूप 1

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग 110 ब्लैरसिंहा जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक प्रकरण क्रमांक 342 वी-121/2003-2004..

प्रमाण पत्र क्रमांक 5467 044610

अन्य पिछड़े वर्गों के लिये

स्थाई जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी लक्ष्मण सिंह
पत्र/पुरुष वृजलाल निवासी ग्राम/शहर सियार कला
तहसील ब्लैरसिंहा जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) के निवासी हैं जो लोटी
पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस-4-84 26/12/1984 ए
पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-4-97 चौवन दिनांक 2 अप्रैल 1997 तथा
संस्कार संस्करण में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है और जो सूची के
क्रमांक 49 पर अंकित है।

श्री लक्ष्मण सिंह और /या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश
के जिला भोपाल, संभाग भोपाल में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री वृजलाल क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग)
व्यक्तियों/ वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिनका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप
क्रमांक एफ-7-26-93-1-आ0प्र0 दिनांक 08 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई"
अनुसूचि के कालम (3) में किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री /श्रीमती/कुमारी X X X के
परिवार की कुल साक्षक आय रूपये X X X है। आते हैं।

राज्य - मध्यप्रदेश
दिनांक
मुहर - 3 DEC 2009

लक्ष्मण सिंह (हस्ताक्षर)
ब्लैरसिंहा, सिक्का-शास्त्र

पदनाम मुहर सहित

Sh. Mongilal Malviya

(4) 14

कार्यालय तहसीलदार तहसील आष्टा जिला सीहोर म.प्र.

दिनांक 16.1.1987

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है श्री मंगिलल मालवीया
आ० ८७ मूलचन्द मालवीया निवासी ठाटा
तहसील आष्टा के हैं। शपथ पत्र सरपंच एवं पटवारी/पार्षद के प्रमाण
पत्र के आधार पर इनके पिताश्री मूलचन्द आ० ८१ तरा. ५
जाति की प्राप्ति के जाँड़ (पिछड़ावा) है। तथा उप

दिनांक 16.1.1987



* आष्टा प्राप्ति स्थान : मगन जनरल स्टोर्स, आष्टा

नरेन्द्र तहसीलदार
तहसील आष्टा (सीहोर)
तहसील आष्टा